P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-11* July- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पंडित नेहरू राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रीयवाद के पुरोधा

Pandit Nehru The Leader of Nationalism and Internationalism

Paper Submission: 15/07/2020, Date of Acceptance: 29/07/2020, Date of Publication: 30/07/2020

विकास कुमार शर्मा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
बूंदी, राजस्थान, भारत

सारांश

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि पं. नेहरू न केवल राष्ट्रवाद अपितु अन्तर्राष्ट्रीयवाद के भी समृद्ध पूरोदा माने जा सकते हैं। भारत की विभिन्न प्रकार की विविधताओं एवं मतभेदों को उन्होंने भारत की कमजोरी नहीं अपितु भारत की एक मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के न केवल निर्माता माने जाते हैं अपितु ये संप्रभु राष्ट्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था के वास्तविक शिल्पकार माने जाते हैं। इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के व्यवहारिक एवं आदर्शपूर्ण व्यवहार के लिए अनेक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये। जिनके दर्शन हम पंचशील समझौते के बिन्दुओं बाण्डूंग सम्मेलन में दिये गये विचारों एवं गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त के रूप में देख सकते हैं। ये ऐसे सिद्धान्त हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पं. नेहरू से पूर्व किसी भी रूप में प्रचलन नहीं था।

In essence, it can be said that Pt. Nehru can be considered as a prosperous prophet not only of nationalism but also of internationalism. They have played an important role in the emergence of India as a strong force, not the weakness of India but the variety and differences of India. Pandit Nehru is considered not only the creator of modern India, but also the true architect of the sovereign nation, socialism, secular, democratic and republican system. He gave many new theories for the practical and ideal behavior of nations in international politics. Whose philosophy we can see as the point of view of the Panchsheel agreement, the ideas given in the Bandung Conference and the principle of non-alignment. These are principles which were not practiced in any form before Pt. Nehru in international politics.

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, अन्तरराष्ट्रवाद, गुटनिरपेक्षता, समाजवाद, अजरबैजान, साम्मवाद, ऋतुराज, अनाक्रमण, संस्थापक।

Non Alignment Movement (NAM), Discovery of India, Panchshil Treaty, India and The World, The Glimpses of World History.

प्रस्तावना

आधुनिक भारत के निर्माता एवं महान शिल्पी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे कुशल राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विभिन्न प्रकार की विविधताओं एवं मतभेदों को उन्होंने भारत की कमजोरी नहीं अपितु भारत की एक मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत, संप्रभु राष्ट्र समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था के वास्तविक शिल्पकार थे। विश्व में भारत अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, दर्शन, आस्था, विश्वास एवं अपने नैतिक मूल्यों के लिए अलग पहचान रखता है। इन सब मूल्यों का एक बेहतरीन संयोजन करके पंडित नेहरू ने 'अनेकता में एकता' की भावना के साथ भारत के लिए एक विशाल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। वे आधुनिक भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'भारत की खोज' के मूल उद्देश्य को साकार करने में अपना योगदान दिया। वे स्वतंत्रता के बाद के आधुनिक भारत के मुख्य इतिहास निर्माता साबित हुए, उन्होंने जो बीज बोया वह आज विशाल वटवृक्ष के रूप में अपने आंचल की छाया संपूर्ण भारत वर्ष पर बिखेर रहा

है। आधुनिक भारत के निर्माण में जो खूबियां पंडित नेहरू ने उकेरी, वे आज भी संपूर्ण विश्व में खिलते हुए फूल की तरह अपनी खुशबू बिखेर रही है। आज भारत की जिन खास विशेषताओं की दुनियां में तारीफ की जाती है, उनकी जड़ों में कहीं न कहीं पंडित नेहरू का नाम जरूर आता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के प्रारंभिक दौर में जो चुनौतियां सामने आती है, वे बाद के शासन में नहीं आती हैं। पंडित नेहरू ने इन प्रारंभिक चुनौतियों का बखूबी सामना करके एक सुदृढ़ भारतीय राष्ट्र की मजबूत आधारशिला रखी। उनके अंदर आधुनिक भारत के निर्माण का एक स्पष्ट विजन भी था तथा उसे साकार करने का दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मान्यताओं की संविधान के माध्यम से स्थापना कर उसकी जड़ों को निरंतर अपने लंबे नेतृत्व का काल में (17 वर्षों तक) सिंचते रहे हैं। लोकतंत्र में भी वे संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। उन्होंने स्वयं इसके लिए यथार्थवादी, व्यवहारिक एवं उर्वरक पृष्ठभूमि तैयार की जो इसके सामने आने वाले तूफानों, चक्रवातों एवं झंझावातों का सामना करते हुए आज भी विश्व के लिए एक आदर्श शासन व्यवस्था है। पंडित नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता एवं भारतीयों के लिए जन–कल्याणकारी कार्यों तक ही सीमित नहीं था अपितु इसकी परिधि में विश्व मानवता की सेवा भी समाहित थी। इस प्रकार पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद त्याग, प्रेम, शांति, सौहार्द एवं मर्यादित मनोवृति का प्रतीक है। पंडित नेहरू के शब्दों में,– ''यह सहिष्णु एवं सृजनात्मक राष्ट्रवाद है, जो अपने में एवं अपनी जनता की प्रतिभा में आस्था रखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभा रहा है।'' इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद ही अंतरराष्ट्रीयवाद हैं तथा ये दोनों एक–दूसरे के पूरक है। अपनी भावना एवं विवेकशीलता से भरी गहरी देश भक्ति ने पंडित नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया तथा उनके मानवतावादी विचारों ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के आदर्श का प्रतीक बना दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सदैव सम्मान किया एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसे अपना सदैव पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विकास एवं उसे अधिकाधिक समर्थन दिए जाने के पक्ष में थे।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

जब भी हम किसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतक पर शोध करते हैं, तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक समय अंतराल में कोई चिंतक व्यक्तिगत रूप से तो अप्रासंगिक हो सकता है लेकिन उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व एवं उसके विचार कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार पंडित नेहरू ने अपने राष्ट्रवादी एवं अंतरराष्ट्रीयवादी विचारों के तहत जो कार्य किए, जिन सिद्धांतों की स्थापना की, शासन के जो आदर्श एवं मूल्य स्थापित किए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे। पंडित नेहरू के इन सिद्धांतों एवं मूल्यों का महत्व जितना आज हमारी आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ बनाने एवं अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए है, उतना महत्व तो शायद पहले भी नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय में मानव के सामने बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, शोषण, लूट एवं भ्रष्टाचार की आंतरिक समस्याओं के साथ अंतरराष्ट्रीय अशांति, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, रासायनिक, आणविक एवं जैविक हथियारों की होड़ के इस अशांत एवं तनावपूर्ण वातावरण में हमें कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के सिद्धांतों एवं विचारों की प्रासंगिकता नजर आ रही है। आज पंडित नेहरू के सिद्धांत एवं मानवीय मूल्य उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके दौर में थे। इन सिद्धांतों की वर्तमान प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह शोध कार्य पंडित नेहरू के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर करना आवश्यक समझा।

आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 में इलाहाबाद के एक संपन्न अभिजात्य परिवार में हुआ है। वे भारत के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू एवं कुशल ग्रहणी स्वरूपरानी की संतान थे। उनकी 15 वर्ष की आयु तक की शिक्षा–दीक्षा घर पर ही इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध आनंद भवन में संपन्न हुई। उसके बाद 1905 में 16 वर्ष की अवस्था में उन्हें अपनी आगे की स्कूली शिक्षा के लिए हैरों पब्लिक स्कूल, इंग्लैंड भेजा गया। स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पंडित नेहरू ने वर्ष 1907 में कैंब्रिज के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। पंडित नेहरू ने अपने अध्यापन में विज्ञान संकाय को चुनते हुए, अध्ययन विषय के रूप में– रसायन शास्त्र, भूविज्ञान और वनस्पति शास्त्र का चयन किया। पंडित नेहरू की रूचि साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं तर्क शास्त्र सहित अनेक विषयों में थी।[1] ब्रिटेन में अपने अध्यापन के दौरान उनका संपर्क वैब दंपति सिडनी वैब तथा बैट्रीस वैब से हुआ, इनके संपर्क से पंडित नेहरू फेबियन समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। इंग्लैंड से बैरिस्टरी करने के बाद भारत लौटने पर पंडित नेहरू ने वकालत करना शुरू किया लेकिन इसमें उनकी कोई विशेष रूचि नहीं थी, इसलिए वे सार्वजनिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट हुए। भारत में पहली बार वर्ष 1912 में बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन से उनके सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ माना जाता है। वे गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संचालित 'रंगभेद विरोधी आंदोलन' से भी बहुत प्रभावित थे तथा पहली बार वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में वे गांधी जी से मिलें।[2] रॉलेक्ट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पंडित नेहरू के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। इन घटनाओं से वे अंग्रेजों की क्रूर अत्याचार की नीतियों से भी अवगत हुए। पंडित नेहरू ने पहली बार 1919 में भारत के गांवों का भ्रमण किया, इस भ्रमण में उन्होंने भारतीय किसानों, मजदूरों की बहुत दयनीय दशा देखकर उनकी सेवा करने का संकल्प लिया।[3]

पंडित नेहरू का व्यक्तित्व एवं प्रमुख रचनाएं

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके पारिवारिक संस्कारों एवं समकालीन परिस्थितियों का पड़ता है, फिर भी इस महामानुष का व्यक्तित्व कुछ महान विभूतियों की प्रेरणा का पूंज है। जिनमें से प्रमुख है– उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा

गांधी, रविंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स, ब्रट्रेंड रसैल, बर्नार्ड शॉ, दार्शनिक जॉन स्टूअर्ट मिल, वैज्ञानिक आइंस्टीन तथा राजनेता ग्लैडस्टोन आदि प्रमुख हैं। पंडित नेहरू ने अपने पिता से दृढ़ता, स्वाभिमान, नेतृत्व की क्षमता, गांधीजी से अहिंसात्मक आंदोलन, टैगोर से मानवतावाद, मार्क्स से अर्थव्यवस्था तथा महात्मा बुद्ध से सत्य, प्रेम एवं सहिष्णुता की प्रेरणा ग्रहण की है। उन्होंने पिता के निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को तो स्वीकार किया लेकिन दार्शनिक एवं आध्यात्मिकता के पुट को कभी स्वीकार नहीं किया। गांधीजी ने पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को तराश कर न केवल अलग पहचान दी, अपितु आने वाले समय के लिए उन्हें भारतीय राजनीति का प्रमुख नायक भी बना दिया। नेहरू जी वैज्ञानिक चेतना के धनी पुरुष, महान चिंतक एवं प्रभावशाली राष्ट्र नायक थे। बहुत से विषयों के संबंध में पंडित नेहरू एवं महात्मा गांधी में गहरा मतभेद था लेकिन इन सबके बावजूद भी पंडित नेहरू को गांधी जी के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का नायक कहना ही सर्वथा उचित है। गांधीजी कहते थे कि उन दोनों के बीच परस्पर प्रेम के अतिरिक्त किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा, जब कोई महामानव अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ कर किसी दूसरे युगपुरुष का निर्माण करें। व्यक्तित्व सृजन का ऐसा ही कुम्हार थे महात्मा गांधी पंडित नेहरू के लिए। पंडित नेहरू का प्रारंभिक जीवन इतना वैभवपूर्ण एवं विलासितापूर्ण था कि उनके कपड़े तक विदेशों में धुलने जाते थे। गांधीजी के असहयोग आंदोलन ने नेहरू परिवार की इस रहीसी एवं विलासितापूर्ण जीवन का न केवल अधिग्रहण कर लिया अपितु इस आंदोलन की प्रेरणा से ही नेहरू परिवार ने विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर उनकी होली जलाई। मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत एवं विधायकी की सदस्यता को छोड़ दिया, सभी ने एक साथ अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। एक समय तो ऐसा भी रहा कि नेहरू परिवार की शान शौकत का प्रतीक आनंद भवन भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर एवं कांग्रेसियों का आश्रय स्थल बनकर रह गया।[4] पंडित नेहरू राजनीतिक विषयों में गांधीजी के नैतिक आग्रह की सर्वोच्च प्राथमिकता से बहुत प्रभावित थे तथापि वे गांधीजी के अहिंसात्मक दर्शन की नैतिक एवं आध्यात्मिक व्याख्याओं से सहमत नहीं थे। गांधी जी पंडित नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, एक बार गांधी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि,– ''मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो जवाहर लाल मेरी भाषा बोलेगा।''[5]

पंडित नेहरू रविंद्र नाथ टैगोर के शब्दों में ''भारत के ऋतुराज'' तथा आचार्य नरेंद्र देव के शब्दों में ''लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतीक'' थे। विंस्टन चर्चिल पंडित नेहरू को ''द्वेष रहित निर्भिक व्यक्ति'' मानते थे, तो उनके संबंध में टाइसन कहते हैं कि,– ''पंडित नेहरू ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया अपितु स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए आगे का मार्ग भी प्रशस्त किया।'' पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को उनके इन शब्दों से समझा जा सकता है, वे कहते हैं कि,– ''हमें असफलता तभी मिलती है, जब हम अपने उद्देश्य, आदर्श और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।'' पंडित नेहरू ने अपने जीवन में कई जेल यात्राएं की, इन जेल यात्राओं का सार्थक उपयोग उन्होंने ज्ञानार्जन एवं लेखन कार्य में किया। अपनी श्रेष्ठ पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने जेल में ही की थी, इन रचनाओं में प्रमुख हैं– विश्व इतिहास की झलक–1934, डिस्कवरी ऑफ इंडिया–1947, भारत की एकता–1941, इंडिया एंड द वर्ल्ड–1936, सोवियत रसिया–1928 आदि प्रमुख है। पंडित नेहरू के भाषणों को संपूर्ण रूप से 'बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस'– जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज (चार खंडों में), 'सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरु' (आठ खंडों में) प्रकाशित किया गया।[6]

असहयोग आंदोलन एवं प्रथम जेल यात्रा

पंडित नेहरू ने अपने पिता के साथ 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ब्रिटिश शासन ने नवंबर, 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक सेनानियों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी के तहत 6 दिसंबर, 1921 को पंडित नेहरू को उनके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ दिनों बाद चोरी–चोरा नामक स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई हिंसक घटना के कारण गांधीजी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। पंडित नेहरू ने गांधी जी के इस कार्य की कड़ी आलोचना की।[7]

पंडित नेहरू को वर्ष 1922 में सर्व सम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी और चिकित्सीय जांच के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड जाने के कारण पंडित नेहरू ने 1925 में नगर पालिका के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने वर्ष 1927 में जिनेवा में आयोजित **'साम्राज्यवाद विरोधी'** अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसी वर्ष सोवियत शासन व्यवस्था के सरकारी निमंत्रण पर वे रूस गए तथा साम्यवादी शासन व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा एवं समझा। वहां उन्होंने कार्ल मार्क्स एवं लेनिन के साम्यवादी दृष्टिकोण को गहराई से व्यावहारिक रूप में जाना।[8]

पंडित नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा चेहरा थे, तत्कालीन समय में उनके युवा नेतृत्व से बहुत से स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित थे, जिनमें से प्रमुख थे–सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद आदि। इन्हीं सब युवाओं ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य से **'पूर्ण स्वराज्य'** बना दिया तथा 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इस बार भी प्रतिवर्ष के समान राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर, 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित किया गया। इस इतिहास प्रसिद्ध अधिवेशन में सबसे ज्यादा युवा स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' का प्रस्ताव रखा गया और वह भारी मतों से

पारित हो गया। यह घटना आगे के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई।[9] पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव के संबंध में पंडित नेहरू एवं उनके पिता मोतीलाल नेहरू में गहरा मतभेद था। जहां मोतीलाल नेहरू का मत औपनिवेशिक स्वराज्य तक सीमित था, वही पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज्य से कम किसी विचार पर सहमत नहीं थे। पंडित नेहरू कुल 4 बार 1929, 1936, 1937 एवं 1946 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू को प्रथम बार 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा, उन्होंने कुल 9 बार जेल की सजा प्राप्त की। उन्हें सबसे कम 12 दिनों तक जेल की सजा मिली तथा अधिकतम 1041 दिनों तक वे जेल में रहें। अपनी जेल यातना से आखरी बार उन्हें 1945 में आजाद किया गया। एक बार जेल की सजा से रिहाई के संबंध में पंडित नेहरू ने कहा कि,– ''मैं नहीं जानता मुझे क्यों रिहा किया जा रहा है, मेरे पिता को अस्थमा है, वो और मेरे सैकड़ों साथी अभी भी जेल में हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आजाद भारत के लिए संघर्ष जारी रखो, जब तक आजादी नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठना है।''[10]

पंडित नेहरू को अपने समाजवादी विचारों के आधार पर वर्ष 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की **'राष्ट्रीय योजना समिति'** का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित नेहरू ने गांधी जी के तीनों प्रमुख आंदोलनों असहयोग आंदोलन (1920–22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–34) तथा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। यह पंडित नेहरू की योग्यता एवं कुशल नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव था, जो उन्हें मंत्रिमंडल के सुझाव पर भारत के लिए गठित अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर, 1946 को पंडित नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' रखा, जिन्हें 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया।[11] बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का सार बने। पंडित नेहरू वह व्यक्तित्व है जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ तथा भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई।

पंडित नेहरू एवं राष्ट्रवाद

पंडित नेहरू भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक हैं, उन्हें आजादी के बाद अपने राष्ट्रवादी विचारों को व्यवहारिक रूप में परिणत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। पं. नेहरू के प्रमुख राष्ट्रवादी विचार निम्न प्रकार हैं–

पंडित नेहरू मानवतावादी विचारक

पंडित नेहरू मूलतः मानवतावादी विचारक थे अर्थात वे समाज की मूल इकाई मानव को मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य की सत्ता ही वास्तविक है, इसलिए समाज को चाहिए कि वह मानव के कल्याण का साधन बने। इससे सभी लोगों का सामूहिकता की भावना से व्यक्तिगत कल्याण होगा। वे कहते थे कि हम ईश्वर की सत्ता को तो नकार भी सकते हैं लेकिन मानव की सत्ता को नहीं। नेहरू के चिंतन का केंद्र बिंदु '**मानव**' है। वे मनुष्य को साध्य तथा शेष सभी को साधन मानते थे, चाहे वह राष्ट्र हो या संसार हो। वे स्वयं निरंतर भारतीयों की गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण एवं पिछड़ेपन की स्थिति को मिटाने के लिए अलग–अलग गतिविधियों से राष्ट्र सेवा में लगे रहे। वे धर्म का सहारा लिए बिना लोकिकता के आधार पर मानवतावादी बने। वे कहते हैं कि व्यक्ति को व्यावहारिक, अनुभव–प्रधान, नैतिक, परोपकारी एवं मानवतावादी बनना होगा। यह नेहरू जी के जीवन दर्शन का मूल आधार है कि व्यक्ति को अपने पारलौकिक सुखों की चिंता नहीं करके इसी जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। पंडित नेहरू प्रकृति प्रेमी थे, उनका प्रकृति प्रेम भी मानव प्रेम का ही सहचर था।[12]

व्यक्ति एवं राज्य का संबंध

पंडित नेहरू का मानना था कि मानव सुलभ बुराइयों जैसे– स्वार्थ, अहिंसा, लालच, विलासिता, पाशविकता आदि के समाधान के लिए राज्य का होना आवश्यक है। वे व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए राज्य को आवश्यक मानते थे। वे कहते हैं कि यदि राज्य जैसी संस्था का अस्तित्व नहीं होगा तो अराजकता होने के साथ, मानव जीवन एवं मानव सभ्यता दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राज्य की बाध्यकारी सत्ता के अभाव में कानूनों का पालन, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा, लूट आदि से मानव की सुरक्षा करना संभव नहीं है। राज्य के औचित्य के संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण गांधी की तरह अराजकतावादी नहीं था, न ही वे काल मार्क्स की तरह राज्य को एक वर्गीय संगठन मानते थे। पंडित नेहरू राज्य के प्रति व्यक्तिवादी धारणा से भी सहमत नहीं थे, जो यह मानते हैं कि,– 'वही सरकार श्रेष्ठ हैं जो सबसे कम शासन करती हैं। वे कहते थे कि राज्य का कार्य नागरिकों की बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक अव्यवस्थाओं से रक्षा करना ही नहीं है अपितु सुरक्षा के साथ जनता का बहुमुखी विकास करना एवं लोक कल्याण करना भी है।' पंडित नेहरू कहते थे कि राज्य का प्रमुख कार्य न्याय निष्ट सामाजिक व्यवस्था बनाना, जनता का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण करना है। इसके लिए उन्होंने देश के आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। यद्यपि वे जानते थे कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में भी अनेक कमियां हैं तथापि इन बुराइयों को दूर करने के लिए ही उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं विकेंद्रीकृत शासन का प्रतीक पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया। पंडित नेहरू का मानना है कि राज्य एवं व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के लिए साधन भी हैं और साध्य भी है। व्यवस्थित एवं नियमपूर्वक संगठित राज्य तथा उसके नागरिकों के मध्य कभी किसी प्रकार का टकराव नहीं होता है। पंडित नेहरू मूलतः संविधानवादी थे, वे लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्मित कानूनों के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन लाने में विश्वास करते थे।[13]

पंडित नेहरू मूलतः लोकतंत्रवादी विचारक

पंडित नेहरू महान लोकतंत्रवादी चिंतक थे, वे लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली ही नहीं मानते थे, अपितु यह एक जीवन पद्धति है। पंडित नेहरू ने लोकतंत्र के वैचारिक, संस्थागत और प्रक्रियात्मक तीनों ही पक्षों को

महत्त्वपूर्ण माना तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में स्थापित भी किया है। उनके अनुसार यद्यपि लोकतांत्रिक शासन पद्धति की भी अपनी कुछ कमियां हैं, किंतु उसके दोष इसकी विशेषताओं के समक्ष गोण है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं जिसके कारण पंडित नेहरू इसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे– जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, वयस्क मताधिकार, जनता को शासन बदलने का अधिकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था होना है।[14] पंडित नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मर्म, जनता के कल्याण के प्रति शासन के समर्पण, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जनता की चेतना एवं जागरूकता में निहित है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत गतिशील एवं व्यापक हैं, इसमें सभी नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। पंडित नेहरू का मानना था कि संविधान द्वारा स्वीकृत अधिकार ही व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकाधिक विस्तार भी करना होगा।

लोकतंत्र शासन अपने राजनीतिक स्वरूप के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक भी होता है तथा इसका प्रभाव समाज के व्यापक तबके तक होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि समाज में सामान्य दोष भी नहीं होना चाहिए, जैसे– जातिवाद, सांप्रदायिकता, लिंगभेद, छुआछूत, अमीरी–गरीबी का अंतर, गांव–शहर, क्षेत्रवाद आदि। वे कहते थे कि एक व्यवस्थित एवं लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण, मजदूरों का शोषण, आय की असमानता, बेकारी आदि दुर्बलताओं को न्यूनतम करते हुए धीरे–धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू कहते थे कि,– ''राजनीतिक लोकतंत्र उन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है।'' पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक मूल्यों को पहले उद्देश्य प्रस्ताव तथा बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत किया गया है। पंडित नेहरू का मानना था ऐसा नहीं है कि,– ''लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कभी कोई परिवर्तन ही नहीं होता, इस पद्धति में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है किंतु यह परिवर्तन हिंसक तरीके से नहीं किया जाकर समझा–बुझाकर आपसी सहमति से किया जाता है।'' लोकतंत्र में लोगों में आपसी विचार भिन्नता होने पर भी सभी के विचारों का सम्मान किया जाता है।

लोकतंत्र में भी पंडित नेहरू संसदीय शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त तथा भारत के लिए सर्वथा उचित मानते थे। संसदीय शासन प्रणाली में भी अनेक कमियां हो सकती है किंतु इन सभी दुर्बलताओं को व्यापक शिक्षा व्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, कानून की सर्वोच्चता, कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने भारतीय जनता के सहयोग एवं अगाध स्नेह से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चमत्कारिक बना दिया था। उन्होंने कभी विपक्ष का अनादर नहीं किया, ना ही कभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं परंपराओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने भारत जैसे विविधताओं से भरे विशाल एवं विकासशील देश में लोकतांत्रिक महल की मजबूत नींव रखी तथा लगभग 17 वर्षों तक इस विशाल वटवृक्ष को वे निरंतर सिंचते रहे।[15]

पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद

पंडित नेहरू पूर्वाग्रह मुक्त समाजवाद के प्रबल समर्थक थे यद्यपि वे उदारवादी थे किंतु आर्थिक क्षेत्र में वे समाजवाद लाने के प्रबल समर्थक थे। वे भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ढूंढते हैं। पंडित नेहरू की लोकतंत्र एवं समाजवाद दोनों के प्रति गहरी आस्था के कारण ही उन्हें 'लोकतांत्रिक समाजवाद' का प्रतिपादक एवं जनक भी कहा जाता है। पंडित नेहरू का मानना था कि भारत को अपनी निर्धनता एवं असमानता दूर करनी है तो लोकतंत्र के साथ समाजवाद का मार्ग अपनाना होगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह मान लिया था कि भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ही हो सकता है। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि,– ''मुझे यह स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है कि मैं समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूं।'' उसी प्रकार 12 अप्रैल, 1936 के लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में 'समाजवाद ही क्यों' विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि,– ''मुझे समाजवाद के अतिरिक्त कोई रास्ता दिखाई नहीं देता जो हिंदुस्तान को गरीबी, बेकारी, भूखमरी एवं गुलामी से मुक्त करा सकें।'' पंडित नेहरू कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे लेकिन उन्होंने पूर्णतया कभी मार्क्सवादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। वे मार्क्स के हिंसात्मक क्रांति, वर्ग–संघर्ष, राज्य एवं धर्म संबंधी विचारों से कभी एकमतता नहीं रखते थे। पंडित नेहरू का यह मानना था कि,– ''यदि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जाए तो हमारा लोकतंत्र अधूरा माना जाएगा। उनका यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही समाजवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के बीच समन्वय ही लोकतांत्रिक समाजवाद हैं।''[16]

समाजवाद, साम्यवाद एवं पूंजीवाद दोनों व्यवस्थाओं से अधिक श्रेष्ठ हैं, जहां एक ओर वह साम्यवाद की हिंसा एवं दमन को रोकता है, वहीं दूसरी ओर वह पूंजीवाद की असमानता एवं शोषण की नीति का भी विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत के लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है कि, वह नैतिक नियमों की उपेक्षा किए बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखता है तथा उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। पंडित नेहरू की प्रेरणा एवं समर्थन से भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों को समाहित किया गया है। इन तत्वों को संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व एवं कुछ हद तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखा जा सकता है। भारत में चल रही पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य भी समाजवाद ही है। आवाडी कांग्रेस प्रस्ताव–1955 में कहा गया है कि, संविधान के समाजवादी तत्वों की क्रियान्विति

के लिए 'समाजवादी समाज का ढांचा' बनाया जाए। इसके अनुसार उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो तथा राष्ट्रीय संपत्ति का उचित वितरण हो सकें। इसके लिए पंडित नेहरू ने सरकार की 5 प्राथमिकताएं सुनिश्चित की है– 1. उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का नियंत्रण। 2. भूमि सुधार, सीमा बंदी एवं किसानों को खातेदारी के अधिकार देना। 3. उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। 4. सहकारिता को प्रोत्साहन तथा 5. सामाजिक न्याय की स्थापना। पंडित नेहरू की प्रेरणा से ही आज तक भारतीय शासन व्यवस्था में समाजवाद या यूं कहिएं लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्व विद्यमान है।

पंडित नेहरू की पंथनिरपेक्षता में आस्था

पंडित नेहरू प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व में तो विश्वास करते थे, जो सृष्टि को चला रही है लेकिन वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वे धर्म के सांप्रदायिक, परंपरागत, संगठित एवं रूढ़िवादी स्वरूप के विरोधी हैं। धर्म के संगठित स्वरूप ने हमेशा अंधविश्वास, शोषण, प्रतिक्रिया, क्रूरता एवं निहित स्वार्थों को ही प्रश्रय दिया है। पंडित नेहरू ने गांधी जी के धर्म एवं राजनीति के संगम का कभी समर्थन नहीं किया, उन्होंने हमेशा धर्म एवं राजनीति के पृथक्करण पर ही बल दिया है। उनकी आस्था रुढ़िवादी धर्म के प्रति नहीं होकर मानवतावादी वैज्ञानिक धर्म के प्रति थी। उनकी आस्था धर्म के आंतरिक तत्व सत्य, करुणा, न्याय, नैतिकता, दया, प्रेम एवं त्याग के प्रति अधिक थी। पंडित नेहरू यह कभी नहीं चाहते थे कि मानव जीवन में धर्म का कोई स्थान ही नहीं हो, वे धर्म की आस्था के साथ लोगों के धर्मपूर्वक आचरण पर अधिक बल देते थे।[17] पंडित नेहरू भारत में पंथनिरपेक्षता के वास्तविक सूत्रधार हैं, वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानकर सभी धर्मों के प्रति समादर भाव रखते थे। पंडित नेहरू की इसी पंथनिरपेक्ष धारणा को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। वे कहते हैं कि इतिहास में अनेकों बार हुए लंबे सांप्रदायिक संघर्ष ने भारतीय लोगों को अलग अलग रहने को विवश किया है तथा इस आपसी क्लेश ने भारतीय शक्ति को हमेशा क्षीण किया है। भारत में कला, साहित्य, विज्ञान, शिल्प, दर्शन एवं ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक महापुरुषों द्वारा चमत्कारिक कार्य किया गया हैं लेकिन वह सब कुछ आपसी क्लेश से नष्ट हो गया। पंडित नेहरू पंथनिरपेक्ष राज्य से पंथनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना चाहते थे और काफी हद तक उन्हें इसमें सफलता भी मिली। इसी का परिणाम है कि आज पंथनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता के दूसरे भाग के रूप में जानी जाती है।

पंडित नेहरू का अंतरराष्ट्रीयवाद

पंडित नेहरू की राष्ट्रवाद की अवधारणा में ही अंतरराष्ट्रीयवाद का विचार निहित है, वे भारतीय राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रीयवाद का मजबूत आधार बनाना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव कल्याण की भावना के बिना भारत का अंतरराष्ट्रीय मामलों में सार्थक प्रभाव स्थापित नहीं किया जा सकता है। वे मानव मात्र के कल्याण के समर्थक थे, वे मानते थे कि, विश्व से संघर्षों, तनाव, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति ही अंतरराष्ट्रीयवाद है। वे एक न्याय निष्ट विश्व व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को सहज ही राष्ट्रवाद से अंतरराष्ट्रीयवाद की ओर मोड़ दिया था। पंडित नेहरू के शब्दों में,– ''अब विश्व का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन, बाजार तथा परिवहन अंतरराष्ट्रीय हो गया है। मनुष्य के विचार एक रूढ़िवाद पर आधारित हैं, जिसकी वर्तमान में कोई कीमत नहीं है। अब कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक–दूसरे पर निर्भर हैं।'' इन विचारों के आधार पर पंडित नेहरू का स्पष्ट संदेश है कि मानव जाति को राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतरराष्ट्रीयता का खुला विचार ग्रहण करना होगा।[18] उन्होंने इस प्रकार के राष्ट्रवाद का सदैव विरोध किया, जो अपनी चरम अवस्था में पहुंचकर अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोधी बन जाए। अपने उदार और व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने टैगोर के 'समन्वयात्मक विश्ववाद' और गांधी की 'विश्व बंधुत्व की भावना' को खुले मन से स्वीकार किया। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ प्रथम विदेश मंत्री भी हुए, इस कारण अनेक मंचों के माध्यम से उन्होंने अंतरराष्ट्रीयवाद की दिशा में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

पंचशील सिद्धांत

किसी भी देश की विदेश नीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सफल संचालन के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं, जिन पर सभी राष्ट्र दृढ़तापूर्वक चलकर एक शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाते हैं। यदि किसी एक भी राष्ट्र के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह संपूर्ण विश्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है। इसलिए पंडित नेहरू ने सबसे पहले 29 अप्रैल, 1954 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ–एन–लाई के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये राष्ट्रों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना के लिए आचरण के पांच महत्त्वपूर्ण नियम है, जिसका प्रत्येक राष्ट्र को अवश्य पालन करना चाहिए। ये नियम है यथा–

1. एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना।
2. अनाक्रमण।
3. एक दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना।
4. समानता एवं पारस्परिक हित संवर्धन।
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपकी सहयोग करना।[19]

यद्यपि चीन ने इन पंचशील सिद्धांतों की सबसे पहले वचनबद्धता भंग की, उसकी इन सिद्धांतों में कोई आस्था एवं विश्वास नहीं था। फिर भी विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने इन पंचशील सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था, विश्वास एवं सद्भावना प्रकट की तथा इन सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का भाग बनाया। इससे पंचशील सिद्धांतों का महत्व एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए पंडित नेहरू द्वारा दिए गए योगदान का महत्व और बढ़ गया।

बांडुंग सम्मेलन के सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पंडित नेहरू का एक अन्य महत्त्वपूर्ण योगदान बांण्डुग (इंडोनेशिया) सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करते हुए जो विचार व्यक्त किया गया था उसके महत्त्वपूर्ण अंश सार रूप में उद्धृत हैं। 18 से 25 अप्रैल, 1955 को एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 29 विकासशील एवं नव स्वतंत्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बांण्डुग (इंडोनेशिया) में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विकासशील एवं नव स्वतंत्र राज्यों के नेता तथा भारत के प्रतिनिधि के रूप में पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया उसमें से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण के लिए पांच नवीन बिंदु ओर उभर कर सामने आए। जो बाद में भारत सहित कई राष्ट्रों की विदेश नीति का आधार बने।[20] ये पांच सिद्धांत इस प्रकार हैं–

1. साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवादी नीतियों की निंदा तथा परतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करना।
2. दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध करना।
3. निशस्त्रीकरण पर बल देना तथा परमाणु परीक्षणों की आलोचना करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पूर्ण समर्थन देना।

इस प्रकार पंचशील समझौते के सिद्धांतों एवं बांडुंग सम्मेलन के सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय विदेश नीति के एवं अन्य राष्ट्रों के अनुगमन के लिए 10 प्रमुख सिद्धांत हो गए।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

गुटनिरपेक्षता की नीति एवं भारत के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मानव एवं उसके नैतिक कल्याण संबंधी आचरण के मध्य होता है। विश्व राजनीति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू असंलग्नता की नीति के जनक माने जाते हैं। इस आंदोलन की नींव रखने में उनके साथ प्रमुख नेता थे मिस्र के नेता कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो एवं इंडोनेशिया के जनरल सुकार्णो आदि। गुटनिरपेक्षता जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है तात्कालीन विश्व व्यवस्था में उभरे दोनों शक्ति गुटों से अपने आपको पृथक रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो महत्त्वपूर्ण एवं ताकतवर सैनिक गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट पूंजीवादी विचारधारा को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरा साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सोवियत संघ के नेतृत्व में बना। इन दोनों शक्ति गुटों के मध्य भयंकर आपसी टकराव, शस्त्रों की होड़, आर्थिक एवं वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा तथा एक–दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी। इससे विश्व के गरीब, शक्तिहीन एवं नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष दो स्थितियां उभर कर सामने आयी, जो इधर गिरे तो कुआं तथा उधर गिरे तो खाई के समान थी। प्रथम, यदि ये राष्ट्र किसी एक शक्ति गुट में शामिल होते हैं, तो दूसरे गुट की शत्रुता मोल लेना होगा। दूसरा, यदि ये राष्ट्र अपने आपको पूर्ण स्वतंत्र रखते हैं तो इन गरीब, नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने दोनों बाहरी ताकतों से एवं अपनी आंतरिक गरीबी, बेकारी व भुखमरी से अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट होगा।[21]

पंडित नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि सोच से इन गरीब, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को इन दोनों महाशक्तियों के शक्ति गुटों से पृथक रखकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता का एक नया विचार, नया मार्ग एवं नवीन संगठन विश्व के समक्ष लाये। पंडित नेहरू अपने अंतरराष्ट्रीयवादी विचार के कारण ही गुटनिरपेक्षता का नया विचार विश्व के गरीब, पिछड़े एवं नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सोच सकें हैं। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से इन राष्ट्रों को एक नया नेतृत्व प्रदान किया। पंडित नेहरू ने अपने विचार, विश्वास, व्यवहार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से यह स्पष्ट कर दिया कि गुटनिरपेक्षता की नीति न तो अवसरवादी नीति है और न ही निष्क्रियता की नीति है। पंडित नेहरू यह बात भली–भांति जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दोनों शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी एक शक्ति गुट के साथ जुड़ गया, तो इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव फैलाने वाली शक्तियों को बल मिलेगा तथा भारत स्वयं अपने लिए तनावपूर्ण वातावरण एवं युद्ध को आमंत्रित करेगा। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए कोरिया, साइप्रस, कांगो, अफगानिस्तान, वियतनाम आदि देशों के विवादों में शांति स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित नेहरू ने वर्ष 1949 में अमेरिकी यात्रा के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति को ओर स्पष्ट करते हुए कहा कि,– ''जब स्वतंत्रता के लिए कहीं संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटनाएं घटित हो, तब हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।'' इससे यह स्पष्ट है की गुटनिरपेक्षता न तो अवसरवादी नीति है और न ही निषेधात्मक नीति। यह नीति सत्य, न्याय और स्वतंत्रता का समर्थन करने तथा साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। कई बार यह कहा जाता है कि भारत–चीन युद्ध–1962 में भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन किया है लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ क्योंकि भारत न तो किसी सैनिक या शक्ति गुट में शामिल था और न ही किसी शक्ति गुट से शर्तों के आधार पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की। युद्ध जैसी विकट परिस्थितियों में भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का हमेशा पूर्णतया पालन किया है।[22]

गुटनिरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की नीति पर आधारित है, यह तनावपूर्ण विश्व में नव–स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध हुई है। यह भारत एवं विश्व की गुटनिरपेक्षता की नीति की सफलता का ही प्रमाण है कि जहां इसके प्रथम शिखर सम्मेलन–1961 बेलग्रेड (युगोस्लाविया) में मात्र 25 सदस्य राष्ट्र थे, वही 25–26 अक्टूबर, 2019 को बाकू (अजरबैजान) में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में यह सदस्य संख्या बढ़कर 120 हो गई।[23] वर्तमान में भी इस गुट विहिन विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपना उद्देश्य विश्व की नवीन उभरती हुई समस्याओं के समाधान की ओर आकृष्ट कर लिया है। जैसे– पर्यावरण संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय विवादों का द्विपक्षीय समाधान, विश्व

से गरीबी, बेकारी, भुखमरी को समाप्त करना, प्राकृतिक आपदाओं से मानव जगत के संरक्षण में सहयोग, आतंकवाद का समाधान एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रिकरण आदि प्रमुख हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा किए जा रहे इन सब नवीन कार्यों के कारण आज भी विश्व व्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।

निष्कर्ष

इस प्रकार सार रूप में यह कहा जा सकता है कि पंडित नेहरू न केवल भारत अपितु विश्व के समर्पित एवं सक्षम राजनेता थे। वे भारतीय लोकतंत्र के संस्थापक सूत्रधार, रचनाकार एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के उत्कृष्ट व्याख्याकार थे। वे भारतीय चिंतन की आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रेरणा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मध्य अद्भुत समन्वय थे। उन्हें पूर्व एवं पश्चिम का समन्वय भी कहा जा सकता है। वे जनता के हितों के प्रति समर्पित सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत थे। पंडित नेहरू ने लोकतंत्र के उदार मंतव्यों तथा समाजवाद के आदर्शों के मध्य समन्वय स्थापित किया। पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति अपनी दृढ़ आस्था के कारण ही राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद को एक–दूसरे का पूरक बना दिया। पंडित नेहरू ने विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को हमेशा अपना आदर्श मानते हुए तथा सुदृढ़ भारत की आकांक्षा को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रीयवाद को एक नया आदर्श प्रदान किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2015, पृष्ठ संख्या–363।*
2. *डॉ. नागर, पुरुषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1999, पृष्ठ संख्या–483।*
3. *डॉ. राधाकृष्णन, हमारी विरासत, हिंद पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1989, पृष्ठ संख्या–107।*
4. *नंदा, बी.आर., जवाहर लाल नेहरूः विद्रोही और राजनेता, सारांश प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या–36।*
5. *डॉ.चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2015, पृष्ठ संख्या–368।*
6. *सलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहर लाल नेहरू, खंड–5, पृष्ठ संख्या–82।*
7. *डॉ. चंद्र, विपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2011, पृष्ठ संख्या–349–350।*
8. *डॉ. चतुर्वेदी, मधुकर श्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 2015, पृष्ठ संख्या–364।*
9. *डॉ. चंद्र, विपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2011, पृष्ठ संख्या–350।*
10. *जवाहरलाल नेहरू, जेल के दिन, गूगल सर्च, 14 नवंबर, 2019।*
11. *डॉ. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2005, पृष्ठ संख्या–83।*
12. *नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अध्याय–10, खंड–9।*
13. *नेहरू, हिंदुस्तान की कहानी, सॉफ्ट कॉपी, पृष्ठ संख्या–707।*
14. *डॉ. जैन, पुखराज, भारतीय राजव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2018, पृष्ठ संख्या –15–22।*
15. *जवाहर लाल नेहरू, स्पीचेज, खंड–3, पृष्ठ संख्या–53।*
16. *नेहरू, हिंदुस्तान की कहानी, पृष्ठ संख्या–710।*
17. *डॉ. जैन, पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2018, पृष्ठ संख्या–177।*
18. *जवाहर लाल नेहरू, लोकसभा डिबेट्स, मार्च, 1950।*
19. *राजन, एम.एस., इंडियाज फॉरेन रिलेशन ड्यूरिंग नेहरू ऐराः सम स्टडीज, दिल्ली, 1976।*
20. *राजन, एम.एस., इंडिया फॉरेन रिलेशंस ड्यूरिंग नेहरू ऐराः सम स्टडीज, दिल्ली, 1976।*
21. *ओझा, शीला, भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन, जयपुर, 1992, पृष्ठ संख्या–3।*
22. *भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 1945–1996, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या–95।*
23. *गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन, डेली अपडेट्स, दृष्टि संस्थान, दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2019।*